

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 805/2023

संदीप शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.01.2023

आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यालय एईएम (O&M), झाडोल उदयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.10.2020 में झाडोल उदयपुर में पदस्थापित किया गया था, जो टीएसपी क्षेत्र है। अपीलार्थी का पदस्थापन उक्त स्थान पर इस शर्त पर किया गया था कि टीएसपी क्षेत्र के लिए अन्य कार्मिक उपलब्ध होने तक किया जाता है। वर्तमान में आदेश दिनांक 31.03.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी निगम ने टीएसपी क्षेत्र के लिए जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की है। ऐसे में अब अपीलार्थी का स्थानांतरण टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अपना पदस्थापन नॉन टीएसपी हेतु विकल्प दिया हुआ है। टीएसपी क्षेत्र में नवीन जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होने के पश्चात भी अपीलार्थी को नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापन नहीं दिया जा रहा है। अपीलार्थी स्थाई रूप से विकलांग व्यक्ति है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इच्छित स्थान पर स्थानांतरण करने की नीति प्रत्यर्थी विभाग की है। अपीलार्थी

ने पूर्व में अपना अभ्यावेदन दिनांक 27.01.2023 को अपना स्थानांतरण उदयपुर में गैर टीएसपी क्षेत्र में करने की प्रार्थना की थी। जिसमें इच्छित स्थान भी बताया गया है। परंतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)